प्रेस विज्ञप्ति

06-11-2025

- **मशहूर हस्तियों की संपत्तियों की अनंतिम कुर्की - 11.14 करोड़ रुपये।**
- **चार भुगतान गेटवे पर तलाशी ली गई।**
- **4 करोड़ से अधिक धनराशि फ्रीज की गई।**
- **₹1,000+ करोड़ के धन शोधन का खुलासा हुआ।**

प्रवर्तन निदेशालय, मुख्यालय कार्यालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत पूर्व भारतीय क्रिकेटरों सुरेश रैना और शिखर धवन से संबंधित 11.14 करोड़ रुपये मूल्य की चल और अचल संपत्ति को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। कुर्की में सुरेश रैना के नाम पर धारित 6.64 करोड़ रुपये के म्यूचुअल फंड निवेश और शिखर धवन के नाम पर धारित 4.5 करोड़ रुपये मूल्य की अचल संपत्ति शामिल है।

ईडी ने अवैध विदेशी सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म 1xBet के संचालकों के खिलाफ विभिन्न राज्य पुलिस एजेंसियों द्वारा दर्ज की गई कई एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की। जांच से पता चला है कि 1xBet और उसका सरोगेट ब्रांड 1xBat, 1xbat स्पोर्टिंग लाइन्स पूरे भारत में अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी और जुए के संचालन को बढ़ावा देने और उसे सुविधाजनक बनाने में संलिप्त थे।

ईडी की जाँच से पता चला है कि सुरेश रैना और शिखर धवन, दोनों ने जानबूझकर 1xBet के प्रचार के लिए विदेशी संस्थाओं के साथ विज्ञापन समझौते किए थे। ये विज्ञापन विदेशी संस्थाओं के माध्यम से किए गए भुगतान के बदले में किए गए थे ताकि धन के अवैध स्रोत को छुपाया जा सके, जो अवैध सट्टेबाजी गतिविधियों से उत्पन्न अपराध की आय (पीओसी) से जुड़ा है।

ईडी की जाँच से यह भी पता चला है कि 1xBet भारत में बिना अनुमति के काम करता था और सोशल मीडिया, ऑनलाइन वीडियो और प्रिंट मीडिया के ज़रिए भारतीय उपयोगकर्ताओं को निशाना बनाने के लिए छद्म ब्रांडिंग और विज्ञापनों का इस्तेमाल करता था। विज्ञापन के लिए भुगतान, धन के अवैध स्रोत को छिपाने के लिए विदेशी मध्यस्थों का उपयोग करते हुए, स्तरित लेनदेन के माध्यम से किया गया था।

यह कुर्की धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत ईडी के तलाशी अभियान के बाद की गई है।

जाँच से पता चला कि 1xbet विभिन्न म्यूल खातों के माध्यम से धन एकत्र करके भारतीय उपयोगकर्ताओं को सट्टेबाजी और जुए की सुविधा प्रदान कर रहा था। अब तक की जाँच में 6000 से अधिक म्यूल खातों का पता चला है, जिनका उपयोग धन प्राप्त के लिए किया जाता था। इन म्यूल खातों में उपयोगकर्ताओं से एकत्रित राशि को उनके मूल स्रोत को छिपाने के लिए कई भुगतान गेटवे के माध्यम से हस्तांतरित किया जाता था। जाँच से पता चला कि व्यापारी बिना किसी केवाईसी सत्यापन के इन गेटवे पर शामिल हो रहे थे। इन व्यापारियों के प्रोफाइल के सत्यापन पर, यह पाया गया कि संस्था की घोषित व्यावसायिक गतिविधियाँ उनके लेन-देन के पैटर्न से मेल नहीं खातीं, जो 1000 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि के शोधन का संकेत देता है।

इन निष्कर्षों के आधार पर, छापेमारी की गई और अपराध संकेती साक्ष्य जब्त किए गए। इन पेमेंट गेटवे से जुड़े 60 से ज़्यादा बैंक खाते फ्रीज कर दिए गए हैं। अब तक 4 करोड़ से ज़्यादा की राशि फ्रीज की जा चुकी है। आगे की जाँच जारी है।

ईडी आम जनता को अत्यधिक सावधानी बरतने और ऑनलाइन सट्टेबाजी या जुए के प्लेटफ़ॉर्म में शामिल होने, उसका प्रचार करने या उसमें पैसा लगाने से बचने की सलाह देता है। अतः. जनता को सावधान किया जाता है:

1. अपने व्यक्तिगत या व्यावसायिक बैंक खाते, डेबिट कार्ड, यूपीआई आईडी या भुगतान वॉलेट को किसी अन्य व्यक्ति के साथ न खोलें, साझा न करें, या अज्ञात स्रोत से धन प्राप्त करने या हस्तांतरित करने के लिए उपयोग करने की अनुमति न दें।
2. सोशल मीडिया पर ऐसे विज्ञापनों या लिंक पर क्लिक न करें जो ज़्यादा रिटर्न, सट्टेबाजी के ऑफ़र या "निष्क्रिय आय" योजनाओं का वादा करते हों। ऐसे लिंक अक्सर अवैध जुआ साइटों या वित्तीय धोखाधड़ी की ओर ले जाते हैं।
3. ऐसे मोबाइल एप्लिकेशन डाउनलोड करने या टेलीग्राम/व्हाट्सएप चैनलों से जुड़ने से बचें जो ऑनलाइन सट्टेबाजी या जुए को बढ़ावा देते हैं।
4. कोई भी व्यक्ति जो जानबूझकर अपने खाते को ऐसी गतिविधियों के लिए उपयोग करने में सहायता करता है या अनुमति देता है, उसके खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम(पीएमएलए), 2002 के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है, जिसमें 7 साल तक की कैद और ऐसे अवैध लेनदेन से प्राप्त संपत्ति की कुर्की का प्रावधान है।
5. यदि आपको संदेह हो कि आपके खाते का दुरुपयोग किया गया है, तो तुरंत अपने बैंक और स्थानीय पुलिस प्राधिकारियों को सूचित करें।

ईडी दोहराता है कि अवैध सट्टेबाजी और जुआ न केवल आर्थिक नुकसान पहुँचाते हैं, बल्कि धन शोधन और गैरकानूनी गतिविधियों के वित्तपोषण में भी सहायक होते हैं। जनता से आग्रह है कि वे सतर्क रहें और ऐसे प्लेटफ़ॉर्म को बढ़ावा देने वाले किसी भी संदिग्ध लेनदेन या विज्ञापनों की सूचना स्थानीय कानूनी कार्रवाई करने वाले एजेंसियों या ईडी को दें।